



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/50/2017/एफ.सी/237

दिनांक: 1/1/18

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ

Online Proposal No: FP/UP/TRANS/24154/2017

विषय : मिर्जापुर में उ० प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कार्पो० लि० द्वारा 132 के० वी० जिगना दादर कला पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 6.5475 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 28.12.2017 की कार्यवाही (REC Agenda item 23.15-UP)

महोदय,
उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-82/14-2-2017-800(83)2017 दिनांक- 01.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक- 28.12.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 23.15-UP) शामिल किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः केन्द्र सरकार मिर्जापुर में उ० प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कार्पो० लि० द्वारा 132 के० वी० जिगना दादर कला पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 6.5475 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (6.5475X2= 13.095ha.) अर्थात् 14.00 हे० पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन इ-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का सद्धार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं एन०पी०वी० की जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

[Signature]
1/1/18

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आदेश को प्रत्येक वृद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो इसे जल्दी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

- विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का जमीन स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी अनिवार्य एवं पीछे का दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) की दिशा (direction) भी लिखनी होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक विभागाध्यक्ष या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की गई हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफओसी0(pt.), दिनांक-28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एनओपीवी, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि केसा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पालन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।
- राज्य सरकार उक्त वन प्रभाग में भविष्य में प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उक्त वन प्रभाग के आस पास स्थित स्थल का क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयन सुनिश्चित करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुकार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक-02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(कै.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- निदेशक (आरओएचओक्यू) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- मुख्य वन संरक्षक एवं नोडन अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर, उ० प्र०।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पो 0 लि०, पथरहिया रोड, मीरजापुर, उत्तर प्रदेश।
- तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
- आदेश प्रभावली


11/1/18
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(कै.)